आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 07.04.2026 समय : 1905

<><><><><><><>

1. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीकृत सब–रजिस्ट्रार व्यवस्था पर सांसद बिष्णु पद रे ने सवाल उठाए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन सेवा का समर्थन किया।

2. समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग ने पन्द्रह अप्रैल से चौदह जून तक मछली पकड़ने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया।

3. जहाजरानी सेवा निदेशालय ने एम वी स्वराज द्वीप, कैम्पबेल बे और नालंदा के मुख्य भूमि के यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया।

4. उद्योग निदेशालय की ओर से द्वीप समूह के युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

<><><><><><><>

अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह में पंजीकरण सेवाओं को अधिक सुलभ और विकेन्द्रीकृत बनाने की सांसद ने मांग की है। द्वीपसमूह के सांसद बिष्णु पद रे ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर वर्तमान सब–रजिस्ट्रार व्यवस्था में तत्काल सुधार की आवश्यकता बताई है। सांसद ने कहा कि मौजूदा प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत है और कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल रहे अधिकारियों पर निर्भर है, जो भौगोलिक रूप से विस्तृत अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। विशेष रूप से दक्षिण अंडमान में एक ही व्यवस्था द्वारा श्री विजय पुरम, फरारगंज और लिटिल अंडमान जैसे बड़े क्षेत्रों को सेवा देने से लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और देरी होती है। उन्होंने सुधार के लिए दो प्रमुख सुझाव दिए हैं। पहला, हर तहसील स्तर पर सब–रजिस्ट्रार क्षेत्र बढ़ाकर स्थानीय स्तर पर पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, यह कार्य तहसीलदार, बीडीओ या अन्य स्थानीय अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा जाए, ताकि वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च प्रशासनिक कार्यों पर केंद्रित किया जा सके। सांसद ने दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि यह सुधार मौजूदा कानून के तहत आसानी से लागू किया जा सकता है। उन्होंने प्रशासन से इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की है।

<><><><><><>

समुद्री संसाधनों के संरक्षण और समुद्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग ने मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध लागू किया है। जारी सूचना के अनुसार, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में प्रादेशिक जल सीमा से बाहर सभी मछली पकड़ने वाले जहाजों पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी यह प्रतिबंध 15 अप्रैल से 14 जून तक कुल 61 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। वहीं पश्चिमी तट पर यह प्रतिबंध 1 जून से 31 जुलाई तक लागू रहेगा। पारंपरिक गैर–मशीनीकृत नौकाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। विभाग ने सभी मछुआरों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि का सख्ती से पालन करें, ताकि मत्स्य संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और समुद्र में सुरक्षा बनी रहे।

<><><><><><>

श्री विजयपुरम स्थित मत्स्य संग्रहालय–सह–एक्वेरियम को मरम्मत कार्य के बाद अब पुनः खोल दिया गया है। मत्स्य संग्रहालय–सह–एक्वेरियम में समुद्री जीवन की समृद्ध विविधता के साथ–साथ द्वीपों की विशिष्ट प्रजातियों को भी प्रदर्शित किया गया है।

<><><><><><>

द्वीप समूह के निजी स्कूलों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। इसके तहत निजी स्कूलों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की कुल क्षमता का कम से कम पच्चीस प्रतिशत, कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबंधित बच्चों के लिए आरक्षित करना होगा। इन बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह 25 प्रतिशत आरक्षण का नियम प्री–स्कूल प्रवेश पर भी लागू होगा। प्रवेश फॉर्म संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ 10 अप्रैल तक क्षेत्रीय अधिकारियों के पास जमा कर सकते हैं।

<><><><><><>

पोर्ट ब्लेयर सर्किट कोर्ट की बैठक तेरह अप्रैल से अठाईस अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्या और न्यायमूर्ति स्मीता दास डे मामलों की सुनवाई करेंगे।

<><><><><><>

जहाजरानी सेवा निदेशालय ने एम वी स्वराज द्वीप, एम वी कैंपबेल बे और एम वी नालंदा के मुख्यभूमि के यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया है। अब एम वी स्वराज द्वीप 11 अप्रैल को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से चेन्नई और 21 अप्रैल को विशाखापत्तनम जाएगा। जहाज 3 और 26 मई को विशाखापत्तनम और 14 मई को चेन्नई के लिए प्रस्थान करेगा, जबकि 7 जून को चेन्नई और 19 जून को सुबह 10 बजे विशाखापत्तनम जाएगा। एम वी नालंदा 3 मई को सुबह 9 बजे ननकौड़ी और कैम्पबेल बे होते हुए चेन्नई के लिए, जबकि 16 मई को सुबह 8 बजे मायाबंदर होते हुए कोलकाता जाएगा। उधर, एम वी कैम्पबेल बे 18 जून को सुबह नौ बजे श्री विजयपुरम से ननकौड़ी और कैम्पबेल बे होते हुए चेन्नई के लिए प्रस्थान करेगा। यह कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर हैं। जिन यात्रियों ने टिकटें खरीदी हैं, वे उसी टिकट पर संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यात्रा कर सकते हैं।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार प्रशासन भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई में स्नातक पाठ्यक्रमों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 7 सीटों पर प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने जा रही है। यह परीक्षा 6 मई को सुबह दस बजे से डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित होगी। उम्मीदवार की आयु 17 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र 20 अप्रैल तक डीब्रेट के समुद्री विभाग में उपलब्ध रहेगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 20 अप्रैल शाम तीन बजे तक जमा किए जा सकते है। प्रवेश पत्र 22 से 27 अप्रैल तक शाम चार बजे जारी किए जाएंगे।

<><><><><><><>

उद्योग निदेशालय, की ओर से द्वीपों के स्थानीय युवाओं के लिए विभिन्न कौशल विकास ट्रेडों में तीन महीने का निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण 13 अप्रैल से 12 जुलाई तक विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित होगा। प्रशिक्षण के लिए दसवीं पास और वैध स्थानीय प्रमाणपत्र धारक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उद्योग निदेशालय के प्रशिक्षण अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम ने पेशेवर क्षमता को मजबूत करने और द्वीपों के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अनिडको आइलैंड डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम और इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवा पेशेवरों और विषय विशेषज्ञों को जोड़ना है। फेलोशिप कार्यक्रम

के तहत चार योग्य पेशेवरों को नौ महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इंटर्नशिप कार्यक्रम में संबंधित विषयों के दस छात्रों और हाल ही में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये नियुक्तियाँ गैर–रोजगार और परिणाम–उन्मुख होंगी। विस्तृत सूचना, आवेदन प्रारूप और गूगल फॉर्म लिंक प्रशासन और अनिडको के वेबसाइट के 'वैकेंसी' लिंक से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

<><><><><><><>